8/3/22	पत्रावली पेश हुई। [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जावे। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 8/3/22 को पुनः [illegible] [illegible]।

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर (प्रथम), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती अरशदीप बराड(आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या : 152/2010

प्रेमसिंह पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह, जाति राजपूत निवारी कालवाड़, तहसील व जिला जयपुर।

...........वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर।
2. उप तहसीलदार, कालवाड़ जिला जयपुर।
3. ग्राम पंचायत, कालवाड़ जरिये सरपंच।

.............प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 23/02/2022

निर्णय

दिनांक 02.07.1996 को वादी अधिवक्ता ने वादपत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि वादी के पिता स्व. श्री नारायण सिंह को खसरा नम्बर 98 में से 25 बीघा कृषि भूमि का सम्वत् 2015 में आंवटन किया गया था। कुछ समय पश्चात खसरा नम्बर 98 के स्थान पर खसरा नम्बर 142/1 व 142/2 बनाये गये। खसरा नम्बर 98 का कुल रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा था। वादी व वादी के पिता बाद आंवटन से ही वास्तविक भौतिक कब्जा वाली कृषि भूमि काबिज रहे और काश्त करते आ रहे है। अब प्रतिवादी सख्या 2 द्वारा अकारण ही हैरान व परेशान करने की गर्ज से वादी को उक्त आंवटित कृषि भूमि पर अतिक्रमी बताकर बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है और शास्ति राशि भी कायम की जाती है। मौके पर वादी द्वारा वास्तविक कब्जा 25 बीघा पर ही हैं। अब प्रतिवादी सख्या 2 का कथन है कि वादी ने 142/1 की 14 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 143 का 9 बीघा 1 बिस्वा है, जो चारागाह दर्ज है। उक्त नम्बरान विषयक वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के मध्य यह मानते हुए कि भू–राजस्व विभाग में गलती कारकूनान से चारागाह में अंकित कर दी गई, इस हेतु विनिमय की कार्यवाही भी प्रारम्भ की गईथी परन्तु इसका कोई अन्तिम निष्कर्ष नही हो सका है। इस विनिमय में वादी 142/2 का रकबा खसरा नम्बर 142/1 व 143 के चारागाह के बदले देना चाहता है, क्योंकि इससे वादी हितों पर कुठाराघात नहीं होता है और ना ही इस प्रकार की कार्यवाही से प्रतिवादीगण को कोई अहित होता है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर वादी के मूलखसरा नम्बर 98 के परिवर्तित खसरा नम्बर 142/1 की कृषि भूमि में से व खसरा नम्बर 143 की भूमि में से 25 बीघा [illegible] वादी काबिज काश्त है में खसरा नम्बर 142/2 जो वादी के नाम गलत रूप से अं[illegible] की गई है, दुरूस्त किए जाने की घोषणा की जाकर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:58 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तामील करवाई गई। बाद तामील तहसीलदार जयपुर से वाद पत्र पर बिन्दुवार टिप्पणी चाही गई। अपने जवाब में तहसीलदार जयपुर ने उल्लेख किया कि:–

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर (I)

1. इस वाद में वादी द्वारा इस आशय का वाद पत्र पेश किया गया है कि ग्राम कालवाड़ के खसरा नम्बर 142/2 वादी के नाम खातेदारी दर्ज है लेकिन वादी द्वारा खसरा नम्बर 142/1 व 143 पर काबिज काश्त है। वादी द्वारा ग्राम कालवाड़ के खसरा नम्बर 142/2 के स्थान पर खसरा नम्बर 142/1 व 143 में खातेदारी इन्द्राज करवाने बाबत् वाद पेश किया गया है।
2. ग्राम कालवाड़ के खसरा नम्बर 142/2 रकबा 25 बीघा की खातेदारी प्रेमसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी कालवाड़ के नाम दर्ज थी जिसमें से खातेदार प्रेमसिंह द्वारा दिनांक 10.11.1997 को 9 बीघा भूमि बेचान करने पर ग्राम कालवाड़ के नामान्तरण संख्या 1383 दिनांक 15.12.1997 के द्वारा नानूराम कटारिया पुत्र लच्छुराम हिस्सा 9/50 गुन्नी देवी कटारिया पत्नी नानूराम हिस्सा 9/50 जाति जाट निवासी बिशनावाला के नाम इन्द्राज स्वीकार हुआ था। ग्राम कालवाड के नामान्तरण संख्या 3151/24.12.2019 (सहमति विभाजन) के द्वारा खसरा नम्बर 142/2 रकबा 6.3232 हैक्टयर (25 बीघा) का विभाजन होकर नये खसरा नम्बर 1086/142 रकबा 4.0468 हैक्टेयर की खातेदारी प्रेमसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपुत सा.देह तथा खसरा नम्बर 1087/142 रकबा 2.2764 हैक्टेयर की खातेदारी नानूराम कटारिया पुत्र लच्छूराम हिस्से 1/2 गुन्नीदेवी पत्नी नानूराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. बिशनावाला के नाम इन्द्राज स्वीकार हुआ।
3. इसके पश्चात वादी प्रेमसिंह द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1086/142 रकबा 4.0468 हैक्टेयर में से 1.01 हैक्टेयर भूमि का बेचान दिनांक 27.02.2020 को उषा निगम पत्नि राजेश कुमार निगम हिस्सा 1/2 गौरव निगम पुत्र राजेश कुमार निगम हिस्सा 1/2 जाति कायस्थ नि. जी–2 कृष्णा अपार्टमेन्ट ए विधाधर नर सेक्टर 7 जयपुर को किया गया जिसका ग्राम कालवाड के नामान्तरण संख्या 3193/10.07.2020 के द्वारा रिकोर्ड मे अमल हुआ तथा खसरा नम्बर 1086/142 के नये खसरा नम्बर 1139/1086 रकबा 1.01 हैक्टेयर केता उषा निगम व गौरव निगम के हक में तथा खसरा नम्बर 1140/1086 रकबा 3.0368 हैक्टेयर प्रेमसिंह पुत्र नारायणसिंह के हक में रहा।
4. मुताबिक जमाबन्दी ग्राम कालवाड़ सम्वत् 2075–2078 के ग्राम कालवाड़ के–
   i. खसरा नम्बर 1140/1086 रकबा 3.0368 हैक्टेयर की खातेदारी प्रेमसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत सा.देह के नाम दर्ज है तथा खातेदार द्वारा मौके पर इस खसरा नम्बर पर काश्त की जा रही है।
   ii. खसरा नम्बर 1139/1086 रकबा 1.01 हैक्टेयर की खातेदारी उषा निगम पत्नी राजेश कुमार निगम हिस्सा 1/2 गौरव निगम पुत्र राजेश कुमार निगम हिस्सा 1/2 जाति कायस्थ निवासी जी–2 कृष्णा अपार्टमेन्ट ए विधाधर नगर सेक्टर 7 जयपुर के नाम दर्ज है तथा खातेदार द्वारा मौके पर इस खसरा नम्बर पर काश्त की जा रही है।
   iii. खसरा नम्बर 1087/[illegible] 2.2764 [illegible] की खातेदारी नानूराम कटारिया पुत्र लच्छुराम हिस्सा 1/2 गु[illegible] नानूराम हिस्सा 1/2 जाति जाट निवासी बि[illegible] के नाम दर्ज है तथा खातेदार [illegible] पर काश्त की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:58 IST
Reason: SelfAttested

5. ग्राम कालवाड़ के खसरा नम्बर 142/1 रकबा 3.6675 हैक्टेयर किस्म चारागाह खसरा नम्बर 143 रकबा 4.3630 हैक्टेयर किस्म चारागाह की खातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज है।

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

6. इस प्रकार वादी प्रेमसिंह द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से 9 बीघा भूमि दिनांक 10.11.1997 को व 4 बीघा भूमि दिनांक 27.02.2020 को बेचान की जा चुकी है तथा वर्तमान में मौके पर उक्त सभी क्रेता विक्रेता राजस्व रिकोर्ड के अनुसार अपने-अपने नाम दर्ज खसरा नम्बरों पर काश्त कर रहे है।

7. वादी द्वारा वाद में अपनी खातेदारी भूमि 142/2 रकबा 25 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 142/1 व 143 चारागाह भूमि को अपने नाम इन्द्राज करवाने हेतु निवेदन किया गया है जबकि वादी द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 142/2 रकबा 25 बीघा में से 13 बीघा भूमि को बेचान किया जा चुका है तथा शेष 12 बीघा भूमि (3.0368 हैक्टेयर) पर वादी द्वारा काश्त की जा रही है।

न्यायालय द्वारा वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के प्रकाश में तहसीलदार रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया। इसके अनुसार न्यायालय यह पाता है कि वादी द्वारा चाहा अनुतोष खसरा नम्बर 141/1 व 143 की दुरूस्ती/घोषणा बाबत् था जो उसके कब्जेराज में थी पर मुताबिक जमाबन्दी, चारागाह के रूप में दर्ज थी। वर्तमान स्थिति में 142/1 व 143 ग्राम कालवाड़ जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है व उसका कब्जा भी जयपुर विकास प्राधिकरण का है। वादी द्वारा उसको आंवटित 25 बीघा खसरा नम्बर 142/2 भूमि जिसका वह रिकार्डड खातेदार है में से 13 बीघा भूमि का बैचान किया जा चुका है व शेष पर वादी काबिज है। इस प्रकार वादी व वादी की 13 बीघा भूमि के केतागण वर्तमान में राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपने अपने नाम दर्ज खसरा नम्बरों पर काश्त कर रहे है। ऐसी स्थिति में जब वाद पत्र में अंकित वाद का कारण ही नही है, तो न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष प्रदान करने की आवश्यकता शेष नही है। अतः यह वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23/2/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरशदीप बराड़)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

अरशदीप बराड़ सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:58 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (प्रथम)** मुकाम **जयपुर** व इजलास **श्रीमती अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)**

प्रेमसिंह पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह, जाति राजपूत निवासी कालवाड़, तहसील व जिला जयपुर।

...........वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर।
2. उप तहसीलदार, कालवाड़ जिला जयपुर।
3. ग्राम पंचायत, कालवाड़ जरिये सरपंच।

............प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा 152/2010

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमती अरशदीप बराड व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी द्वारा चाहा अनुतोष खसरा नम्बर 141/1 व 143 की दुरूस्ती/घोषणा बाबत् था जो उसके कब्जेराज में थी पर मुताबिक जमाबन्दी, चारागाह के रूप में दर्ज थी। वर्तमान स्थिति में 142/1 व 143 ग्राम कालवाड़ जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है व उसका कब्जा भी जयपुर विकास प्राधिकरण का है। वादी द्वारा उसको आंवटित 25 बीघा खसरा नम्बर 142/2 भूमि जिसका वह रिकार्डड खातेदार है में से 13 बीघा भूमि का बैचान किया जा चुका है व शेष पर वादी काबिज है। इस प्रकार वादी व वादी की 13 बीघा भूमि के क्रेतागण वर्तमान में राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपने अपने नाम दर्ज खसरा नम्बरों पर काश्त कर रहे है। ऐसी स्थिति में जब वाद पत्र में अंकित वाद का कारण ही नही है, तो न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष प्रदान करने की आवश्यकता शेष नही है। अतः यह वाद खारिज किया जाता है।

इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ....—....... मुबलिग ....—........ बाबत् ....—........

खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद वशरह ....—.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....—.... को अदा करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:58 IST
Reason: SelfAttested

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/2/... को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .... अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)

ओहदा सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
म्प अर्जी दावा	00	00	स्टाम्प अर्जी दावा	00	00
टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महन्ताना वकील	00	00
महन्ताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफरिक	00	00
मुतफरिक	00	00		00	00
मीजान	00	00	मीजान	00	00

नोटः—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फीकेन का चाहे डिगरीके जरिये दिखाया हो।

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:58 IST
Reason: SelfAttested